न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीलडिक्री./टीए./5483/2004/झालावाड
गुल मोहम्मद पुत्र फकीर मोहम्मद जाति पिंजारा निवासी ग्राम भालता तहसील अकलेरा जिला झालावाड।

अपीलाण्ट

बनाम

1. बद्रीलाल
2 मोहनलाल
3 हेमराज
पुत्रगण घीसा जाति कलाल निवासी ग्राम भालता तहसील अकलेरा जिला झालावाड ।

रेस्पोडेण्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री वी. श्रीनिवास , अध्यक्ष
श्री चिरंजीलाल दायमा, सदस्य

उपस्थितः
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री एन.के.गोयल, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय

दिनांक19.11.18

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–8–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26–5–2004 से ग्राम भालता तहसील अकलेरा की खतौनी सख्या 200 की खसरा संख्या 679 की 5

बिस्वा आराजी में से 16X36 गट्ठे के लगभग अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किए जाने एवं प्रत्यर्थी/वादीगण को कब्जा दिये जाने के आदेश दिए गए । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत तथाकथित पैमाईशी रिपोर्ट दिनांक 20–6–2000 को आधार माना और उक्त पैमाईश रिपोर्ट को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित किया गया है । उक्त निर्णय के विरूद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 19–8–04 द्वारा खारिज कर दिया ।

उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26–5–2004 में यह आदेशित किया है कि विवादित आराजीयात खसरा नंबर 679 रकबा 5 बिस्वा पर रेस्पोडण्ेट की खातेदारी में दर्ज है । पत्रावली पर उपलब्ध पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 20–6–2002 प्रदर्श–2 से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 679 की 16X36 गट्ठे की भूमि पर अपीलाण्ट गुल मौहम्मद द्वारा कब्जा कर रखा है । अपीलाण्ट जिस प्लाट पर अपना 25 वर्षो से कब्जा बता रहा है वह प्लाट खसरा नंबर 1418 आबादी क्षेत्र का है । अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर आदेश दिया गया कि ग्राम भावता की खसरा नंबर 679 की 5 बिस्वा आराजी में 16X36 की गट्ठे की आराजी से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर वादीगण दिया जावे ।

उक्त आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में किए जाने पर उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 19–8–04 में यह माना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय से अपीलाण्ट को बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । अतः अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–5–2004 यथावत रखा जाता है ।

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 19–8–04 के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अपीलाण्ट का लगातार 50 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है केवल मात्र अपीलाण्ट को परेशान करने की नियत से ही दावा प्रस्तुत किया गया है । अतः अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किए जावे ।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने तर्क दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के अन्तर्गत बेदखली के आदेश अतिक्रमी मानते हुए पारित किए है जो विधिसम्मत है । अपीलाण्ट को अपना कब्जा काश्त साबित करना चाहिए । केवल मोखिक साक्ष्य से अपील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित निर्णय है जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है । अतिक्रमी को बेदखल कर कब्जा देने के सही आदेश दिए गए है । अतः अपील खारिज की जावें।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार, अकलेरा ने अपने आदेश दिनांक 20-3-2005 में यह स्पष्ट किया है कि प्रकरण आबादी भूमि से संबंधित है जिससे ग्राम पंचायत को लिखा जावे कि पुराने कब्जे को ध्यान में रखते हुए वर्तमान कब्जाधारियों के विरूद्ध उचित निर्णय पारित करें। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रदर्श-2 से भी स्पष्ट है कि ग्राम भादरा के खसरा नंबर 674, 675, 676, 677, 678, 679 की पैमाईश करने पर खसरा ंनबर 679 की भूमि 16X36 की गट्ठे लगभग गुलमौहम्मद पुत्र काफीरमौहम्मद ने कांटे की बाढ लगाकर बाडा बना रखा है। जमाबन्दी संवत 2056-59 प्रदर्श-पी-1 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 679रकबा 5 बिस्वा बद्रीलाल, मोहनलाल, हेमराज, पि0 घीसा जाति कलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । जमाबन्दी से स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट इस

भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार है । अपीलाण्ट ने इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि वे किस हैसियत से इस भूमि पर अपना कब्जा काश्त बताता है । अपीलाण्ट को अपना कब्जा काश्त दस्तावेजी सबूत से ही पेश करना चाहिए । केवल मात्र अनाधिकृत कब्जे से उसका कब्जा काश्त नहीं माना जा सकता है। यदि अपीलाण्ट का विधिसम्मत कब्जा है तो उनहें इस संबंध में दस्तावेज पेश करना चाहिए । अपीलाण्ट के कब्जे वाली भूमि आबादी की न होकर के रेस्पोडेण्ट की कब्जे काश्त की भूमि है और उन्होंने इस तथ्य को दस्तावेजी सबुत से साबित किया है । पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी यही अंकित किया है कि अपीलाण्ट गुलमौहम्मद ने कांटे की बाड लगाकर बाडा बना रखा है । पैमाईश से जब स्पष्टतया यह साबित हो जाता है कि अपीलाण्ट के द्वारा रेस्पोडेण्ट की भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत है । राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसममत है दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है एवं समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित निर्णय है जिनमें बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है । अतः अपील खारिज योग्य है । ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की अपील में कोई सार नहीं है एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है।दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय यथावत रखे जाते है

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिरंजी लाल दायमा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष